

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



क्रमांक. एफ 31(30) विविध/जविप्रा/सम/2010 | 528

दिनांक : 6-2-2012

आदेश

आदेश क्रमांक एफ 31(30)विविध/सम/2010/डी-6058 दिनांक 09.11.2010 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित कतिपय अपीलों/परिवादों में अधिनियम की धारा 20(1) में आरोपित शास्तियों/अनुशासनात्मक कार्यवाही से प्राप्त निर्देशों की पालना हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जिसमें आयोग द्वारा आरोपित शास्ति का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण के कोष से अधिकारियों/कर्मिकों के वेतन से वसूली किये जाने के निर्देश है।

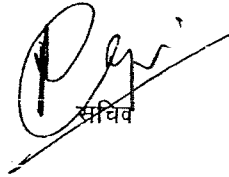
उपरोक्त आदेश में अंकित प्रक्रियानुसार आयोग द्वारा आरोपित शास्ति की राशि प्राधिकरण कोष से स्वीकृति प्राप्त कर जमा कराये जाने की कार्यवाही तो की जा रही है परन्तु उपरोक्त शास्ति की राशि उत्तरदायित्व अधिकारियों/कर्मिकों के वेतन से काटे जाने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नहीं की जा रही है।

उक्त क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि माननीय आयोग द्वारा आरोपित शास्ति की राशि संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती की जाकर जमा करवाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) द्वारा परिपत्र क्रमांक प 22(16)प्रसु/सू.अ./2010 दिनांक 16.12.2010 प्रख्यापित/प्रसारित किया गया है अतः कार्यालय आदेश दिनांक 09.11.2010 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि जविप्रा कोष की मद से जमा करवाने के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई पत्रावली प्रेषित/प्रस्तुत नहीं की जावेगी तथा आयोग से प्राप्त निर्णय में अधिरोपित शास्ति की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मिक के वेतन से कटौती की जाकर आयोग में प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
2. माननीय आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपण से संबंधित निर्णय प्राप्त होने के पश्चात राज्य लोक सूचना अधिकारी 7 दिवस में अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से माननीय आयोग द्वारा निर्णय पारित किये जाने तक पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम (पदनाम सहित) व उनके द्वारा अनुरोध पर की गई समस्त कार्यवाही के सम्पूर्ण विवरण सहित तथ्यात्मक टिप्पणी मय दस्तावेज अति. आयुक्त (प्रशासन) को प्रेषित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
3. अति. आयुक्त (प्रशासन) द्वारा उपायुक्त (जॉच) के माध्यम से 7 दिवस में आवश्यक जॉच कर दोषी अधिकारी/कर्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारण कर संबंधित अधिकारी/कर्मिक के

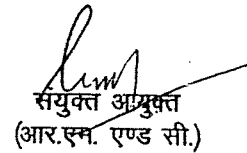
- वेतन से शास्ति की राशि की कटौती किए जाने के संबंध में उचित आदेश/निर्देश पारित करते हुए लेखाधिकारी (भुगतान) को आदेश की पृष्ठांकित प्रति प्रेषित की जावेगी।
4. अति. आयुक्त (प्रशासन) से प्राप्त आदेश/निर्देश की पालना में लेखाधिकारी (भुगतान) द्वारा शास्ति की राशि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर अधिरोपित शास्ति की राशि का चैक वर्तमान में पदस्थापित राज्य लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से माननीय आयोग को प्रेषित करेंगे। उक्त कार्यवाही लेखाधिकारी (भुगतान) द्वारा 5 दिवस में सम्पूर्ण की जावेगी।
5. उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के जविप्रा से स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में आरोपित शास्ति की राशि का चैक प्राधिकरण कोष के मद से जमा कराने की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरों से जारी कराई जायेगी, तत्पश्चात संबंधित अधिकारी/कार्मिक के पैतृक विभाग को पत्र प्रेषित कर आरोपित शास्ति की राशि उसके वेतन से कटौती कर जविप्रा को भिजवाने की कार्यवाही उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
- उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

उपरोक्त आदेश जयपुर विकास आयुक्त से पुष्ट है।


सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. रजिस्ट्रार, राजस्थान सूचना, सी-विंग, वित्त विभाग, जन-पथ, राजस्थान विधानसभा के पास, जयपुर राजस्थान का सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (वित्त), जविप्रा को भेजकर लेख है कि राजस्थान सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि का भुगतान जविप्रा कोष से नहीं किया जाना सुनिश्चित करे।
5. निदेशक (अभियान्त्रिकी/वित्त/आयोजना/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त (पूर्व/भूमि/पुनर्वास), जविप्रा, जयपुर।
7. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
8. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम एनालिस्ट), जविप्रा, जयपुर।
9. राज्य लोक सूचना अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री सन्तोष जैमन/श्री अमित शर्मा, प्राधिकरण अभिभाषक (आर.टी.आई.), जविप्रा, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त आयुक्त
(आर.एम. एण्ड सी.)